

राजस्थान सरकार  
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प.15(32)ज0सं0 / 2016

जयपुर दिनांक : 30.09.2016

:- आदेश :-

श्री सुमनेश लाल माथुर, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोटा को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम-151 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.03.2015 में विहित प्रावधानों/दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत पे माईनस पेंशन(Pay minus pension) के आधार पर दिनांक 01.10.2016 से एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/पदस्थापन अथवा दोनों में से जो भी पहले हो, मुख्य अभियंता पद पर पुनर्नियुक्ति किये जाने के एतद्वारा आदेश जारी किये जाते हैं। पुनर्नियुक्ति पर इनका पदस्थापन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोटा (इनकी दिनांक 30.09.2016 को सेवानिवृत्ति से होने वाले रिक्त पद पर) किया जाता है।

यह आदेश कार्मिक विभाग की आई.डी. संख्या 1075/कार्मिक/क-2/16 दिनांक 28.09.2016, वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101603880 दिनांक 30.09.2016 एवं मुख्यमंत्री कार्यालय की आई.डी. संख्या 16000558 दिनांक 23.09.2016 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

आज्ञा से,

(पंकज ओझा)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
6. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राज0 जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोटा।
8. श्री सुमनेश लाल माथुर, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोटा।
9. रक्षित पत्रावली।

SE & TA

31  
30/9/16

Sr PA  
Cell 2  
EEU  
M.U.

30/9/16

1933h  
शासन सचिव